



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 72] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 12, 2015/पौष 22, 1936
No. 72] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 12, 2015/ PAUSA 22, 1936

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 जनवरी, 2015

का.आ.129(अ).—केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 439 की उपधारा(2)के अनुसरण में नोएडा स्थित प्रादेशिक निदेशक (उत्तरी क्षेत्र) के कार्यालय में निम्नलिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम की धारा 155 के अधीन अपराधों के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 159 के अधीन शिकायत दायर करने के प्रयोजनार्थ प्राधिकृत करती है, अर्थात्:—

क्रम संख्या	अधिकारियों के नाम
1.	डा. राज सिंह, संयुक्त निदेशक
2.	श्री ए. एम सिंह, संयुक्त निदेशक
3.	सुश्री पी. शीला, संयुक्त निदेशक
4.	श्री आर. के. तिवारी, संयुक्त निदेशक
5.	श्री सीएच. जगन्नाथ रेड्डी, सहायक निदेशक

[फा. सं. 1/6/2014 सीएल-V]
अमरदीप सिंह भाटिया, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th January, 2015

S.O. 129(E).— In pursuance of sub-section (2) of Section 439 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby authorises the following officers in the office of Regional Director (Northern Region) at Noida for the purposes of filing complaint under section 159 of the said Act in respect of offences under section 155 of the said Act, namely:—

S. No.	Name of Officers
1.	Dr. Raj Singh, Joint Director
2.	Shri A. M. Singh, Joint Director
3.	Ms. P. Sheela, Joint Director
4.	Shri R. K. Tiwari, Joint Director
5.	Shri Ch. Jaganadh Reddy, Assistant Director

[F. No. 1/6/2014-CL-V]
AMARDEEP SINGH BHATIA, Jt. Secy.